HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 306/2026

In

S.B. Criminal Appeal No.357/2026

Rakesh Alias Honey S/o Rajpal, Aged About 22 Years, R/o Rajpura Tan Ghardana Kalan Police Station Singhana District Jhunjhunu Rajasthan (At Present Confined In Central Jail, Bikaner)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Aslam S. Khan
For Respondent(s) : Mr. Devi Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

30/04/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **राकेश उर्फ हनी** की ओर से विचारण न्यायालय–**अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–1, खेतड़ी, राजस्थान** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**26/2020, सरकार बनाम जयवीर एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **28.11.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दो वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान भी न्यायिक अभिरक्षा में रहा है तथा वह वर्तमान में दिनांक 28.10.2025 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, वह प्रकरण में लगभग नौ माह की अभिरक्षा भुगत चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया है। अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध कर, प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों–समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **01.06.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **राकेश उर्फ हनी पुत्र श्री राजपाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /31